



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

विनिमय का विलेख

.....माह.....सन्.....को श्री
.....वर्ष निवासी.....जिसे आगे “प्रथम
आत्मजआयु.....वर्ष, निवासी.....
.....(जिसे आगे “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के बीच(ग्राम/शहर का नाम) में
निष्पादित किया गया ।

चूंकि उक्त प्रथम पक्षकार संलग्न अनुसूची “अ” में उल्लिखित सम्पत्ति का पूर्णरूपेण स्वामी
होकर उसका अधिपत्यधारी है एवं उक्त द्वितीय पक्षकार संलग्न अनुसूची “ब” में उल्लिखित संपत्ति का
पूर्णरूपेण स्वामी होकर उसका अधिपत्यधारी है ।

और चूंकि अनुसूची “अ” तथा “ब” में उल्लिखित सम्पत्तियों में अनुसूची “अ” की सम्पत्ति
का मूल्य रु. एवं अनुसूची “ब” की सम्पत्ति का मूल्य रु. आंका गया है ।
उक्त सम्पत्ति सभी प्रकार के भारों एवं अधिभारों से मुक्त है ।

और चूंकि उक्त प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार अपनी-अपनी सम्पत्तियों को एक दूसरे को
अंतरित करने के इच्छुक है ।

अतएव अब यह विलेख साक्षांकित करता है कि -

उक्त प्रथम पक्षकार अनुसूची “अ” में वर्णित अपनी सारी सम्पत्ति को द्वितीय पक्षकार
को तथा द्वितीय पक्षकार अनुसूची “ब” में वर्णित अपनी सारी सम्पत्ति को इसके प्रति
फलस्वरूप प्रथम पक्षकार को अंतरित करता है एवं सभी प्रकार के भारों एवं अधिभारों से
मुक्त करता है । साथ ही प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार को रु..... नगद प्रदान करता है
।

और एतद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त दोनों पक्षकार विनिमय द्वारा
अंतरित की गई सम्पत्तियों के पूर्णरूपेण स्वामी एवं अधिपति होंगे तथा कोई भी पक्षकार एक
दूसरे के लिए बाधक न होगा ।

और कि दोनों पक्षकार अपनी सम्पत्तियों पर भारित कर आदि का भुगतान करेंगे एवं
उसमें की गई किसी भी प्रकार की छूक के लिए, वे स्वयं दायित्वाधीन होंगे ।

और एतद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि प्रत्येक पक्षकार को अपनी सम्पत्ति
को किसी को अंतरित करने, प्रदान करने और हस्तांतरित करने का अधिकार होगा ।

और कि इस विलेख का निष्पादन दो प्रतियों पर होगा और प्रत्येक दस्तावेज पर
पंजीयन के पृष्ठांकन होंगे । एक प्रति प्रथम पक्षकार रखेगा और दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार
अपने पास रखेगा ।

सम्पत्ति की अनुसूची

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान
एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए है तथा उक्त विलेख की दो प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पक्षकार
को एक-एक प्रदत्त कर दी गई है ।

साक्षीगण :-

(1)

(2)

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्षकार)

हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्षकार)